प्रेषक,

राधिका झा,
सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त मुख्य विकास अधिकारी,
उत्तराखण्ड।

ग्राम्य विकास अनुभाग–2

देहरादून दिनांक 24 अक्टूबर 2024

<u>सर्वोच्च प्राथमिकता</u>

विषयः ग्राम्य विकास विभाग के अन्तर्गत गठित स्वयं सहायता समूह द्वारा उत्पादित उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित किये जाने के संबंध में।

महोदय/महोदया,

कृपया उपर्युक्त विषयक डे–एन0आर0एल0एम0 तथा ग्रामोत्थान (पूर्व नाम रीप) के अन्तर्गत विभिन्न सामुदायिक संगठनों यथा स्वयं सहायता समूह, ग्राम संगठन तथा कल्स्टर फेडरेशनों को स्थायी स्वरोजगार उपलब्ध कराये जाने हेतु ग्राम्य विकास विभाग द्वारा विभिन्न विकास कार्यक्रमों का कियान्वयन किया जा रहा है। इन संगठनों के सदस्यों के उद्यमिता विकास तथा विस्तार हेतु राज्य सरकार प्रतिबद्ध है।

स्वयं सहायता समूहों द्वारा स्थानीय स्तर पर विभिन्न खाद्य उत्पादों यथा–जैम, जैली, जूस, अचार, पापड़, चटनी, शहद, दुग्ध उत्पाद, बैकरी उत्पाद, मसाले एवं अन्य सामग्री निर्मित की जाती हैं, जिनकी मानको के अनुरूप गुणवत्ता निर्धारित होती है, किन्तु कतिपय खाद्य पदार्थों के निर्माण में समूहों द्वारा निर्धारित मानकों का ध्यान नहीं रखा जाता है।

अतः उक्त समूहों द्वारा उत्पादित उत्पादों की गुणवत्ता, प्रसंस्करण और पैकेजिंग में सुधार, विपणन से संबंधित कौशल का विकास एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करते हुए स्वरोजगार के अवसर बढ़ाये जाने के दृष्टिगत मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की करने का कष्ट करें:–

- समूहों द्वारा उत्पादित खाद्य सामग्री के उत्पादन हेतु ऑनलाईन FSSAI प्रमाणीकरण किया जाना अनिवार्य होगा।
- खाद्य सामग्री की पैकेजिंग पर Ingredients, date of Manufacturing/Expiry, निर्मितकर्ता का नाम स्पष्ट रूप से अंकित किया जाये। उत्पाद की गुणवत्ता और शेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए मानकीकृत (Standardised) पैकेजिंग की जाएगी।
- खाद्य उत्पादों के लिए <u>स्वच्छता और गुणवत्ता मानकों का</u> सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- निर्मित उत्पादों में किसी भी तरह के <u>फूड कलर</u> का उपयोग नहीं किया जायेगा। अपरिहार्य स्थिति में यदि आवश्यक हो तो निर्धारित मानकानुरूप उपयोग किया जाय।
- उत्पादों के प्रसंस्करण <u>सामग्री और तकनीक</u> पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
- रसायनिक संरक्षकों (Preservatives) का उपयोग आवश्यकता होने पर ही मानकों के अनुसार किया जायेगा।
- निर्मित उत्पादों की नियमित रूप से गुणवत्ता जांच सुनिश्चित की जाय तथा उत्पादन में <u>नए प्रयोग और नवाचार</u> को बढ़ावा दिया जाय।

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner

- समूहों द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली मशीनों की नियमित देखभाल की जाये तथा खराब स्थिति में तुरंत मरम्मत की जाए ताकि उत्पादन में कोई वाधा उत्पन्न न हो।
- उक्तानुसार समूहों द्वारा उत्पादित उत्पादों की गुणवत्ता/विपणन हेतु सम्बंधित ग्राम स्तर पर एरिया कॉर्डिनेटर, विकास खण्ड स्तर पर सम्बन्धित बी0एम0एम0 एवं जनपद स्तर पर डी0टी0ई0 का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाय।
- विकास खण्ड स्तरीय अधिकारियों द्वारा प्रत्येक माह समूहों द्वारा उत्पादित उत्पादों का स्थलीय निरीक्षण करते हुए गुणवत्ता, पैकेजिंग आदि निर्धारित मानकों के अनुरूप सुनिश्चित करायी जाये।
- एन0आर0एल0एम0/ग्रामोत्थान के स्वयं सहायता समूह के ऐसे सभी सदस्य जो उद्यम स्थापित करना चाहते हैं अथवा उद्यम विस्तार करना चाहते हैं, को उद्यमिता विकास हेतु मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना (पूर्व नाम रूरल बिजनेस इन्क्यूबेटर) के माध्यम से अनिवार्य रूप से ई0टी0सी0/इन्क्यूबेटर के प्रशिक्षण केन्द्रों में मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान कराया जाये।
- मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना अन्तर्गत आधुनिक प्रौद्योगिकी और उपकरणों के उपयोग करने एवं समूह सदस्यों को उद्यमिता विकास से संबंधित प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।

उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीया,

Signed by
Radhika Jha (राधिका झा)
Date: 23-10-2024 18:16:03 सचिव

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन ।
2. अपर सचिव, ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड शासन।
3. आयुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड पौड़ी।
4. आयुक्त, गढ़वाल/ कुमांयू मण्डल।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, यू.एस.आर.एल.एम. देहरादून।
7. परियोजना निदेशक, ग्रामोत्थान, देहरादून।
8. परियोजना समन्वयक, एस0पी0एम0यू0, ग्राम्य विकास।
9. समस्त खण्ड विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड।
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

Signed by
Rajendra Kumar Pandey
Date: 24-10-2024 10:16:30

(आर0के0 पाण्डेय)
अनु सचिव

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner

अतिमहत्वपूर्ण / समयबद्ध

प्रेषक,
राधिका झा,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

ACEO

C.E.O. USRLM 16/9/2023

SPM(M) 17/09/2023 A.C.E.O. USRLM

सेवामें,
समस्त मुख्य विकास अधिकारी,
उत्तराखण्ड।

ग्राम्य विकास अनुभाग–2 देहरादून, दिनांकः 14 सितम्बर, 2023

विषयः एन.आर.एल.एम. / रीप योजनाओं के अन्तर्गत महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा उत्पादित उत्पादों के संबंध में।

महोदय / महोदया,

कृपया अवगत कराना है कि राज्य की महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा उत्पादित सभी स्थानीय उत्पादों की प्रोसेसिंग / पैकेजिंग / ब्रान्डिग हेतु शासन स्तर पर ग्राम्य विकास विभाग के अधीन एक शीर्ष स्तरीय संस्था (Umbrella Society) के गठन की प्रक्रिया गतिमान है।

2– इस संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन एवं ग्रामीण उद्यम वेग वृद्धि परियोजना (REAP) के महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा उत्पादित समस्त उत्पादों के उत्पादन, गुणवत्ता, वैल्यू चेन आदि तथा समस्त ग्रोथ सेन्टर्स के आउटकम की समीक्षा करते हुये, प्रत्येक ग्रोथ सेन्टर्स के पर्यवेक्षण (Supervision) हेतु उपरोक्त किसी भी योजना से एक अधिकारी / कर्मचारी का उत्तरदायित्व (Responsibility) निर्धारित किया जाय।

यह उल्लेखनीय है कि आगामी सप्ताह में अधोहस्ताक्षरी के स्तर पर बैठक प्रस्तावित है, जिसमें उक्त सभी कार्यों की समीक्षा भी की जायेगी।

भवदीया

Signed by Radhika Jha
Date: 14-09-2023 18:23:39

(राधिका झा)
सचिव

संख्या एवं दिनांकः–यथोपरि।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, मा0 ग्राम्य विकास मंत्री जी, उत्तराखण्ड।
2. स्टॉफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. आयुक्त, ग्राम्य विकास विभाग, पौड़ी।

Scanned with OKEN Scanner